नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार पाटन से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती है। वकील प्रार्थीगण की प्रकरण में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण की गलत जाति ''बलाई'' दर्ज हैं जबकि प्रार्थीगण की जाति ''बलाई'' की जगह ''वाल्मिकी (हरिजन)'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात तथा तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता संख्या 78 में प्रार्थियों की जाति हरिजन दर्ज हैं जबकि जमाबंदी संवत 2071–74 में प्रार्थीगण की जाति हरिजन को हटाकर हरिजन के स्थान पर बलाई दर्ज कर दिया गया जिस कारण प्रार्थीगण की जाति बलाई से वाल्मिकी (हरिजन) किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 भू.रा. अधि. स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि:–

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम पाटन तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 266, 270 कुल किता 02 कुल रकबा 0.29 है0 में प्रार्थीगण की गलत दर्ज जाति ''बलाई'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक जाति ''वाल्मिकी (हरिजन)'' दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)